

269


393

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र० सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०

निरानी प्रकरण नं० /2014  
R. 2369-11/14

285  
30.5.14

दि. 30.5.14  
30.5.14  
सिडर  
सर्किट कोर्ट रीवा



R. 2369-11/14

दायरे में  
30  
24-7

- 1- प्रणय कुमार तनय लक्ष्मी प्रसाद पाठक
- 2- लक्ष्मी प्रसाद तनय रामनारायण पाठक
- 3- अश्लेश कुमार तनय लक्ष्मी प्रसाद सी निवासी गण ग्राम जसो, तहो नागाँव, जिला सतना म०प्र० ----- निराकारगण विरुद्ध

श्रीमती प्रवीण त्रिपाठी पति पुष्पेन्द्र कुमार त्रिपाठी पुत्री निकुंज पाठक निवासी नईवस्ती सतना, तहसील रघुराजपुर जिला सतना म०प्र०

--- गैरनिरानीवत्तु

निरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय वृत्त जसो तहो नागाँव जिला सतना के री० प्रकरण नं० 55ए/08-09 आदेश दिनांक 13-5-14

निरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मूराजस्वसंहिता

A

महोदय, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:- इस प्रकार है कि मूमिनो 22, 23/2, 26, 27, 35, 36 37 38/2 क्तिता 8 कुलरकवा 4-487 के माँजा गौरा की उपरोक्त आराजियात के संक्षेप मे आपसी वटवारा हेतु आवेदन पत्र आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत किया जिसका प्रकरण नं० 35 अ27/08-09 के तहत दिनांक 13-2-2009 को वटवारा आदेश पारित किया था, उक्त आदेश के चार वर्षों बाद आवेदिका द्वारा पुनः श्रीमान् तहसीलदार

YOM JAYHAR

269

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 2369- ही/114 जिला सरना

पुष्प कृष्ण यादव विरुद्ध श्री मती प्रवीण चिपाही वगैरे

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री मेहेंद्र कृष्ण भारद्वाज अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील नागौर (वृत्त जलो) के प्रकरण क्रमांक 55/अ. 27/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 13-5-14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सरना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 5-3-19 को कलेक्टर सरना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	

उक्त आदेश के चार वर्षों बाद आवेदिका द्वारा पुनः श्रीमान् तहसीलदार

MSA  
15/1/19

50/1/19